कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 126 /मुरादाबाद/23468/2017, दिनांक, लखनऊ, जुलाई 18 , 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : मुरादाबाद—बरेली—लखनऊ मार्ग (NH-24) किमी0 163 से 164 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम—मुस्तफाबाद के खसरा सं0—196/03 में सिटी एनर्जी लि0, मुरादाबाद द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1009 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक—3802/14—1, दिनांक 30.06.2017
इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक—47/गाइडलाइन, दि0 07.07.2017

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि कतिपय सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं तथा कतिपय सूचनायें प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है, जो निम्न प्रकार हैं :

1— प्रस्तावित स्थल को पूर्ण टोपोशीट पर चिन्हित कर संलग्न नहीं किया गया है।
2— प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वनभूमि की श्रेणी अंकित नहीं की गयी है।
3— प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावित वनभूमि की गणना में क्षेत्रफल 0.100868 हे0 है, किन्तु प्रस्ताव 0.1008 हे0 संरक्षित वनभूमि का प्रस्तुत किया गया है, जो सुसंगत नहीं है।
4— प्रस्ताव के साथ संलग्न उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति का प्रथम पृष्ठ सत्यापित नहीं है।
5— क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को फुल टोपोशीट पर चिन्हित कर संलग्न नहीं किया गया है।
6— लो0नि0वि0 के अनापत्ति का प्रथम पृष्ठ सत्यापित नहीं है।
7— वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण—पत्र में क्षेत्रफल के साथ वनभूमि की श्रेणी अंकित नहीं है।
8— प्रस्तावित वनभूमि के डिजिटल मैप में समस्त Key Points के अक्षांश व देशान्तर अंकित नहीं है।
9— ऑनलाइन एवं आफलाइन पार्ट—1 में अंकित परियोजना की लागत एवं सृजित होने वाले रोजगार की संख्या भिन्न—2 है। आफलाइन पार्ट—1 को प्रस्ताव से पृथक कर दें। इसकी आवश्यकता नहीं है।
10— प्रस्ताव के पृष्ठ सं0—50 पर संलग्न उपयुक्तता प्रमाण—पत्र औचित्यपूर्ण नहीं है, इसे प्रस्ताव से पृथक कर दें।
11— उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर पृष्ठ संख्या अंकित करें एवं तदनुसार विषय—सूची को संशोधित करें।

उक्त के अतिरिक्त पूर्ण एवं सुसंगत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 23.06.17 द्वारा प्राप्त दिशा—निर्देश इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको प्रेषित किये गये हैं। अतः किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं समस्त सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, अलीगढ़ को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक— 126 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि **संशोधित प्रस्ताव** वन संरक्षक, मुरादाबाद को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि श्री सतीश चन्द्र वर्मा, उप महाप्रबन्धक, सिटी एनर्जी लि0, मुरादाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, मुरादाबाद को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।